

त्वरति सुनवाई हर अभयिक्त का अधकिार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आगरा सेंटरल जेल में 14 वर्षों से बंद 12 उमरकैदियों की याचिका पर उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ऐसे में त्वरति सुनवाई का अधकिार एवं न्यायकि देरी का मुद्दा पुनः चर्चा में आ गया है।

प्रमुख बदि

- उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्त इंदरिा बनर्जी और जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की आगरा सेंटरल जेल में बंद 14 साल से ज़्यादा की सज़ा भुगत चुके 12 उमरकैदियों ने रहिई और ज़मानत के लयि उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। इन कैदियों की अपीलें उच्च न्यायालय में वर्षों से लंबति हैं।
- उत्तर प्रदेश में उमरकैद की सज़ा पाए अभयिक्तों के 14 वर्ष से ज़्यादा कैद भुगत चुके और अपील पर सुनवाई न होने का यह पहला मामला नहीं है।
- गत 25 फरवरी को भी मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ऐसे ही मामले में 14 वर्ष से ज़्यादा सज़ा भुगत चुके और 10 वर्ष से ज़मानत अर्ज़ी और अपील उच्च न्यायालय में लंबति होने के तथ्य का संज्ञान लेते हुए अभयिक्त रति पाल को ज़मानत दे दी थी।